



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:- एफ.14()शैक्ष.11/मदसविवि/2026/ 6803-24

दिनांक:- 20.8.26

समस्त प्राचार्य,

विशेष शिक्षा (स्पेशल बी. एड.)

मदस विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त
महाविद्यालय,

विषय :- भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों में बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति के संबंध में।

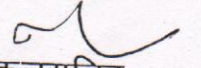
संदर्भ :- पत्र क्रमांक एफ14(27)(1)प.फ.05/नि.वि.यो./पंजी./नवी./2026/दिनांक 04.08.2026 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), नई दिल्ली द्वारा विशेष शिक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रमों हेतु राज्य में आरसीआई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्थानों में आरसीआई के नियमानुसार कार्यरत कर्मिकों एवं उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से किया जाना अनिवार्य है।

अतः संस्थान में कार्यरत कर्मिकों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

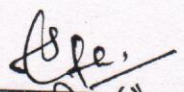

कुलसचिव

दिनांक:- 20.8.26

क्रमांक:- एफ 14()शैक्ष.11/मदसविवि/2026/ 6825-30

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, जी3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, अम्बेडकर भवन के पास, सिविल लाईन, जयपुर
- 2 आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, कॉलेज आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 5 कुलगुरु सचिवालय/निजी सहायक-कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।


उपकुलसचिव (शैक्ष.11)